न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

नं.मु. – 171/25

निर्णय दिनांक –

1. गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु 69 वर्ष निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर
2. बजरंगलाल पुत्र पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
3. रामनारायण पुत्र पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
4. सम्पत पुत्र पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
5. आचुकी पुत्री पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
6. भंवरी पुत्री पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
7. लाली पुत्री पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
8. शांति पुत्री पुरणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला डीडवाना–कुचामन राज.
9. शाखा प्रबंधक स्टेंट बैंक आफ इंडिया शाखा सुजानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरस्ती

लगातार 2 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपस्थित :– 1. श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट– वकील वादी

2. पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है:–

रोही ग्राम परावा मे खाता संख्या नया 215 खसरा संख्या 233, 239 तादादी क्रमशः 3.0098, 16.0863 हैक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा 19.0961 हैक्टैयर भूमि भूमि वादी के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे वादी के नाम 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसका वादी खातेदार कब्जा काश्तकार है। उक्त खसरा की जमाबंदी मे वादी का नाम गोरधनराम पुत्र पुरणाराम अंकित है जबकि वादी के नाम से बने पहचान दस्तावेज आधार कार्ड नंबर 6582 4142 7560 व पेन कार्ड संख्या BGJPL3560L में वादी का नाम गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द अंकित है। वादी का सही नाम गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द है जबकि जमाबंदी मे वादी व वादी के पिता के उपरोक्त नाम सहवन भूल से दर्ज हुये है। गोरधनराम व गोरधन लाल दोनो नाम वादी के ही है तथा पुरणाराम व पूनम चन्द दोनो नाम एक ही व्यक्ति वादी का पिता ही है। जमाबंदी व पहचान दस्तावेजो मे वादी व उसके पिता का नाम अलग अलग अंकित होने से वादी को उपरोक्त कृषि भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। न फार्मर आईडी बन पा रही है तथा न ही किसान सम्मान निधि मिल पा रही है। वादी ने पहचान दस्तावेजो मे अंकितानुसार जमाबंदी मे गोरधनराम पुत्र पुरणाराम के स्थान पर गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 19.12.2025 को साफ इंकार कर दिया। यही वाद का कारण है। वादगत कृषि भूमि ग्राम परावा मे स्थित है। इसलिये न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी की भूमि स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा सुजानगढ़ के रहन दर्ज होने से बैंक को भी पक्षकार प्रतिवादी संख्या 9 संयोजित किया गया है। वाद निर्धारित न्याय शुल्क दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम परावा के खसरा संख्या 233, 239 तादादी क्रमशः 3.0098, 16.0863 हैक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा 19.0961 हैक्टैयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गोरधनराम पुत्र पुरणाराम के स्थान पर गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द दर्ज करवाने का निवेदन किया आदि आदि प्रस्तुत किया।

लगातार 3 पर ....

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 बावजूद सूचना न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब मे कोई राजहित नही होना जाहिर किया। वादी ने दावे के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया। जिसमे दावा मे अंकित तथ्यो को सही होना बताया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती का है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि मे वादी व उसके पिता का नाम गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द अंकित है जबकि राजस्व रिकार्ड मे वादी व उसके पिता का नाम गोरधनराम पुत्र पुरणाराम अंकित है। इसलिये वादी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर नाम शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन के आधार पर खेत खसरा संख्या 233, 239 तादादी क्रमशः 3.0098, 16.0863 हैक्टेयर कुल दो किता कुल रकबा 19.0961 हैक्टैयर वाके रोही परावा तहसील बीदासर जिला चूरू की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे गोरधनराम पुत्र पुरणाराम के स्थान पर गोरधन लाल पुत्र पूनम चन्द दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर